

4(बी)(i) इंजीनियरी अधिकारियों के कार्य तथा विधियां

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय/विजयवाड़ा :

विजयवाड़ा मंडल के सिविल इंजीनियरी विभाग के संपूर्ण प्रभारी

| पदनाम | क्षेत्राधिकार | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| | स्टेशन से | स्टेशन तक |
| वमंइंजी/दक्षिण/विजयवाड़ा | करवदी | गूडूर |
| वमंइंजी/मध्य/विजयवाड़ा | कृष्णाकेनाल | अम्मनब्रोलु |
| | गुणदला | पूला |
| वमंइंजी/उत्तर/विजयवाड़ा | कैकोरम | ताडी |
| | सामलकोट | काकिनाडा पोर्ट |
| | काकिनाडा टाउन | कोटिपल्ली |
| मंइंजी/पूर्व/विजयवाड़ा | विजयवाड़ा | कोंडपल्ली |
| | विजयवाड़ा | निडदवोलु (गुडिवाडा होकर) |
| | गुडिवाडा | मचिलीपट्टणम |
| | भीमवरम | नरसापुर |

वरिष्ठ मंडल इंजीनियरों/मंडल इंजीनियरों के क्षेत्राधीन ट्रैक, भवन और अन्य निर्माणों का निरीक्षण तथा अनुरक्षण

4(बी)(ii) अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा ज्यूटी

अधिकारी :

अपने क्षेत्राधीन सिविल इंजीनियरी तथा रेलपथ कार्यों के निरीक्षण, अनुरक्षण और कार्यान्वयन.

शक्तियों की अनुसूची में दिए गए मार्गदर्शनों के अनुसार प्राक्कलनों की मंजूरी.

कर्मचारी:

दैनंदिन अनुरक्षण तथा विशेष कार्यों पर ध्यान देना

उच्च अधिकारियों के अनुदेशों का पालन

मंजूर किए गए कार्यों के लिए योजना, प्राक्कलन तथा निविदा अनुसूचियों की तैयारी.

प्रधान कार्यालय से प्राप्त पत्रों के उत्तर तैयार करना

4(बी)(III) पर्यवेक्षण तथा जिम्मेदारी सहित निर्णय लेने में अनुपालनीय प्रक्रिया

संबंधित नियमावली में निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार कोई निर्णय लिया जा सकता है और बिना किसी अतिक्रम से आगे बढ़ सकता है. यदि कोई अतिक्रम होता है तो संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं.

4(बी)(IV) कार्य करने के लिए निर्धारित मानदंड.

कार्य संभालने के लिए नियम व विनियमों का ज्ञान होना अनिवार्य है.
छूटी से संबंधित नियम व प्रक्रियाओं का अनुपालन
अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वयन

4(बी)(V) नियम, विनियम और अनुदेशों का अनुपालन निम्नलिखित

कोड (संहिता) तथा मैनुवलों (नियमावलियों) के अनुसार

किया जाना चाहिए.

स्थापना संहिता

वित्त संहिता

इंजीनियरी संहिता

सामान्य व सहायक नियम

रेलपथ नियमावली

पुल नियमावली

कार्य नियमावली